23

प्रपत्र–4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.12.2014 एवं 21.12.2014 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री तिल राम, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र लोहनी, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती दीपिका, कनिष्ट अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 5.40 है0, सिविल सोयम वन भूमि 0.891 है0, वन पंचायत भूमि 0.7065 है0 कुल 6.9975 है0 वन भूमि एवं 2.5875 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम देवलधार, भिताड़ी, बड़खंड, लेटी एवं चौहाना की कुल 764 जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 295 वृक्षों व नाप भूमि पर 00 .वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(श्रीमती दीपिका) कनिष्ट अभियंता (प्रयोक्ता एजेन्सी)	(देवेन्द्र लोहनी) राजस्व उप निरीक्षक राजस्व विभाग प्रतिनिधि	(तिल राम) वन दरोगा वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियंता प्रान्तीय खड, लो0नि0वि0 बागेश्वर (सदस्य सचिव)	वनक्षेत्र अधिकारी बागेश्वर (सदस्य)	तहसीलदार बागेश्वर (सदस्य)	सहायक वन संरक्षक बागेश्वर वन प्रभाग (सदस्य)

वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर वन क्षेत्र बागेश्वर वन प्रभाग

तहसीलदार बागेश्वर (सदर) जिला–बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर/ अध्यक्ष, संयुक्त निरीक्षण
समिति तहसील बागेश्वर

उपजिलाधिकारी बागेश्वर

प्रधान/ वन पंचायत सरपंच

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी बागेश्वर